बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महनार (वैशाली)

## आवश्यक सूचना

# अल्पकालिन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि औ0प्र0संस्थान, महनार (वैशाली) के भवन निर्माण हेतु कम से कम तीन एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

जिसके लिए बिहार सरकार की भूमि जिसका पता–ग्राम–पहाड़पुर विशनपुर, थाना नं0–548, खाता सं0–344, खेसरा सं0–2713 रकबा–1.79 एकड़ भूमि हस्तानान्तरित हो चुका है। शेष भूमि को बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत सतत् लीज पर प्राप्त करने के लिए हीतबद्व भू–धारियों की सहमती प्राप्त करने हेतु अपर समाहर्ता, वैशाली की अध्यक्षता में गठिति कमिटि के समक्ष तीन इच्छुक रैयतों/भूस्वामियों के द्वारा उक्त सरकारी भूमि की चौहदी में अवस्थित रैयतों/भूस्वामियों के द्वारा भूमि देने हेतु सहमति पत्र दिया गया है। इच्छुक भूस्वामी/रैयतों का भूमि से संबंधित विवरणी निम्नवत है :–

| मौजा का नाम | थाना नं0 | जमाबंदीदार | ज0सं0 | खाता सं0 | खेसरा सं0 | रकबा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पहाड़पुर विशनपुर | 548 | मनोज कुमार सिंह पिता–स्व0 नन्दकेश्वर सिंह | 313 | 93 | 2131 | 27डी0 | उ0–अजय कु0 सिंह वगैरह<br>द0–अजय कु0 सिंह<br>पू0–रघुनाथ सिंह वगैरह<br>प0–मोहन सिंह |
| पहाड़पुर विशनपुर | 548 | संजीवन सिंह पिता–स्व0 नथुनी सिंह | | 302 | 2137 | 40डी0 | उ0–मोहन सिंह वगैरह<br>द0–आई0टी0आई0 एवं पैक्स भवन<br>पू0–अजय कुमार सिंह<br>प0–रंजीत सिंह |
| पहाड़पुर विशनपुर | 548 | राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता–स्व0नन्दकेश्वर सिंह | 312 | 93 | 2131 | 27डी0 | उ0–मनोज कुमार सिंह<br>द0–आई0टी0आई0हेतु हस्तांतरित सरकारी भूमि<br>पू0–प्रेमनाथ सिंह वगैरह<br>प0–ललन सिंह |

उपरोक्त के आलोक में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त रैयती भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति विशेष का दावा हो तो 10(दस) दिनों में अंचल अधिकारी, महनार (वैशाली)/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, महनार, (वैशाली) के कार्यालय में अपना दावा आपति दर्ज कर सकते हैं। साथ ही संबंधित सूचना प्राचार्य, औ0प्र0 संस्थान, महनार (वैशाली) के कार्यालय का पता–औ0प्र0संस्थान, हाजीपुर बेल्ट्रॉन भवन, औधोगिक क्षेत्र, हाजीपुर में सम्पर्क कर दावा आपत्ति दर्ज करा सकते है।

10(दस) दिनों बाद उपरोक्त वर्णित रैयती भूमि पर कोई भी दावा आपत्ति मान्य नही होगा।

इसके अतिरिक्त यदि कोई भूस्वामी सरकारी भूमि के चौहदी में अवस्थित रैयति भूमि देने की इच्छा रखते है तो वे अविलम्ब अंचलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

(हस्ताक्षर) 12/03/2020

प्राचार्य,
औ0प्र0संस्थान,
महनार (वैशाली)।